

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश,  
लखनऊ-227132

संख्या-ई.स. 1219 / जी.स.स.  
दिनांक: 23/8 / 2006

प्रेषक,  
श्री. राज्यपाल / कुलाधिपति के अनु सचिव  
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,  
कुलाधिपति,  
गुरु हरकृष्ण महाविद्यालय,  
झांसी।

महोदय,  
आपके पत्रांक-बु०वि०/सम्बद्धन/२००६/४२४६-५१ दिनांक २७-०६-२००६ के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-१९७३ की धारा-३७ (२) के अधीन श्री गुरु हरकृष्ण महाविद्यालय, झांसी को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत शैक्षणिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्रशासकीय विज्ञान, जन्तु विज्ञान एवं गणित विषयों में स्ववित्त प्रेषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक ०१-०७-२००६ से सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है-


- १- संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-२८५१/सत्तर-२-२००३-१६ (६२)/२००२, दिनांक २ जुलाई २००३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
- २- यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-१९७३ के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।


भवदीय,

( विजय कुमार सिंह )  
कुलाधिपति के अनु सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- १- सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- २- निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
- ३- प्रबन्धक/प्राचार्य, श्री गुरु हरकृष्ण महाविद्यालय, झांसी।

  
Principal  
Guru Har Krishan Mahavidyalaya  
Jhansi

  
( विजय कुमार सिंह )  
कुलाधिपति के अनु सचिव